

**कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, पॉचवी मंजिल, भोपाल**

क्रमांक 861/30/आउशि/अनु.ब./19
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20/05/2019

1. प्राचार्य/शिक्षा अधिकारी संबंधित
शासकीय अग्रणी महाविद्यालय
म0प्र0 (कॉलम 04 के अनुसार)
2. प्राचार्य,
अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय
म0प्र0 (कॉलम 02 के अनुसार)

विषय:- अनुदान प्राप्त महाविद्यालय को वेतन भत्तों के लिए राशि आवंटन-वित्तीय वर्ष 2019-20
संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 500/41/अनु-ब/18 दिनांक 17.03.19

—00—


विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुपालन में निम्नलिखित शेष महाविद्यालयों से प्राप्त निर्धारित प्रपत्र में मांग-पत्र अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के माह मार्च देय अप्रैल 2019 से मई देय जून 2019 तक के वेतन-भत्तों हेतु आवंटन राशि स्वीकृत की जाती है :-

क्र	महाविद्यालय का नाम	पत्र क्रमांक व दिनांक	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम एवं कोड	मांग की गई राशि	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6
1.	जय जवान महावि. तराना	108/16.03.19	शा0 कालिदास कन्या महा.	5523601	1380900
2.	सांदीपनी महाविद्यालय उज्जैन	974/04.05.19	उज्जैन 4303802009	9000000	2250000
	योग				3630900
3.	श्री एच.सी.चोरडिया महावि. भानपुरा		शा0पीजी महा. मंदसौर		प्रस्ताव अप्राप्त
	योग		2403802003		—
4.	आदर्श संगीत महावि. सागर	31/30.03.19	शा0 कला एवं वाणिज्य	6250464	1562616
5.	श्री बल्लभदास माहेश्वरी महावि. खुरई	38/30-03-19	महाविद्यालय सागर	569830	142458
	योग		3303802002		1705074
6.	स्वामी प्रणवानन्द महाविद्यालय छतरपुर	101/30.03.19	महाराजा महावि.	11702380	अपूर्ण प्रस्ताव
	योग		छतरपुर 0603802001		—
7.	श्री वर्धमान कन्या महावि. अशोकनगर	05/09.04.19	शा0 नेहरू डिग्री महावि	5946924	1486731
	योग		अशोकनगर 4703802001		1486731
8.	कुसुम बाई जैन कन्या महावि. भिण्ड	760/05.04.19	शा0 एम.जे.एस. महावि0	6871275	1717819
9.	एस. व्ही. आर. एस. महाविद्या. अड़ोखर	703/09.03.19	भिण्ड 0403802001	2332040	583010
	योग				2300829
10.	नवयुग कला/वाणिज्य महावि.जबलपुर	2019/20.04.19	शा0 महाकौशल कला	15044677	3761169
11.	सी0पी0 महिला महावि. जबलपुर	--/05.03.19	/वाणिज्य महावि.	11778564	2944641
	योग		जबलपुर 1803802002		6705810
12.	इस्लामिया करीमिया महावि. इन्दौर	325/02.04.19	माता जीजाबाई शास.पीजी	11600000	2900000
13.	किश्चियन महावि.इन्दौर	01/01.04.19	कन्या महावि. मोतीतबेला	25689970	6422493
	योग		इन्दौर 1713802004		9322493
14.	सेवासदन महावि. बुरहानपुर	25/22.04.19	शा0 महावि नेपानगर	10787984	2696996
	योग		4803802001		2696996
	सकल योग				27848833

(दो करोड़, अठहत्तर लाख, अड़तालीस हजार, आठ सौ, तैंतीस मात्र)


निरंतर.....2.....

1. शैक्षणिक अधिकारियों को शत-प्रतिशत अनुदान भुगतान एवं महाविद्यालय के संपूर्ण स्टाफ के वेतननिर्धारण, सेवा-पुस्तिका में वेतन नियमन की प्रविष्टियों के संबंध में शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि आहरण करने वाली राशि से संबंधित वेतनमान संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, ग्वालियर के अधीनस्थ, संभागीय संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक म.प्र. द्वारा अनुमोदित हो।
 2. आवंटित राशि से केवल अनुदान हेतु शासन द्वारा स्वीकृत, अनुमोदित एवं मान्य पदों पर नियुक्तियों पर कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को वेतन-भत्तों के लिए देय राशि का ही आहरण किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्वीकृत किया जा रहा है। समय-समय पर शासन द्वारा अनुदान राशि के संबंध में जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
 3. स्थानीय निधि संपरीक्षा म0प्र0 से वित्तीय वर्ष 2018-19 तक का आडिट होना सुनिश्चित करने के निर्देश हैं। पूर्व वर्षों में आडिट आपत्तियों का नियमानुसार निराकरण होना सुनिश्चित करावें।
 4. अशासकीय महाविद्यालयों द्वारा छात्रों से वसूल की जा रही शत-प्रतिशत शिक्षण शुल्क की राशि नियमानुसार संस्थागत निधि में जमा करायी जानी होगी।
 5. उक्त आवंटित राशि से संबंधित लेखे महालेखाकार/वित्त विभाग/स्थानीय निधि संपरीक्षा/उच्च शिक्षा विभाग के लेखा परीक्षण दलों के लिये इनके विवेकानुसार जांच हेतु खुले रहेंगे।
 6. आवंटित राशि का व्यय बजट शीर्ष 44-2202-03-104-3444-0101-42-002 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के अंतर्गत विकलनीय होगा।
 7. राशि उपलब्ध होने पर संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी को आवंटित की जावेगी।
 8. किसी भी प्रकार के अनियमित भुगतान/व्यय की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य/संस्था की होगी।
 9. गत वर्ष 2018-19 में जारी की गई आवंटन राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शिक्षा अधिकारी संबंधित महाविद्यालय से प्राप्त करने के उपरांत ही भुगतान/अग्रेषण की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
 10. दिनांक 01.04.2000 के पश्चात् नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी तथा दिनांक 23.01.2003 के पश्चात् अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त कर्मचारी को वेतन का भुगतान उक्त आवंटन में से नहीं किया जावे।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित।**


(घनश्याम सिंह)
अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 20/05/2019

पृ.क. 862/30/अनु.ब./आउशि/19
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी, उच्च शिक्षा की ओर अवगतार्थ।
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
3. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
6. अपर संचालक (वित्त), बजट शाखा, उच्च शिक्षा म.प्र. भोपाल।
7. संबंधित कोषालय/उपकोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
8. वि.क.अ. (आई.टी. सेल), उच्च शिक्षा म.प्र. भोपाल।


(घनश्याम सिंह)
अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश